रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर करें लागू

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय सभागार में अधिनियम को लेकर कार्यशाला आयोजित

संवाददाता, जागरण. मुंगेर : भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह बुधवार को मुंगेर पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में रेरा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यशाला को संबोधित किया की। इसमें सभी जिलों के प्रशासन व नगर निकायों के प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करें। उन्होंने बताया कि "फ्लैट/भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी डीएम यह सुनिश्चित करें कि सीओ नियमित रूप से रिपोर्ट लें ताकि रेरा अधिनयम के प्रावधानों का उलंघन करने वालों के विरुद्ध करवाई की जा सके। जिला व नगर निकाय को ही रेरा के आदेश के बाद भी घर खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने वाले प्रमोटर पर कारवाई करना है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कार्यक्रम आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि रेरा से संबंधित लोक शिकायत मामलों के निपटारे के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही डिफाल्टर प्रमोटरों के बारें में भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि आम लोग उनके झांसे में ना आएं।

कार्यशाला में शामिल रेरा अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व अन्य अधिकारी • सौजन्य : प्रशासन

- सभी छह जिलों के डीएम और नगर निकायों के अधिकारियों को किया कार्यशाला को किया संबोधित
- आयुक्त ने कहा- लोक शिकायत मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे

कार्यक्रम में ये अधिकारी हुए शामिल

कार्यक्रम को जमुई डीएम अभिलाषा शर्मा, मुंगेर डीएम अवनीश कुमार सिंह, बेगुसराय डीएम तुषार सिंगला, खगड़िया के प्रभारी डीएम अभिषेक पलासीया, शेखपुरा डीएम आरिफ अहसन व लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्रा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में आयुक्त के सचिव अरविंद कुमार, ओएसडी देवव्रत मिश्र, मुंगेर व बेगुसराय नगर निगम सहित मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय व जमुई के 28 नगर निकायों के अधिकारी शामिल हुए।

प्रमोटरों को दी गई परियोजनाओं के निबंधन की जानकारी

कार्यशाला के दौरान रेरा की टीम ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। इसमें प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रेरा बिहार के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद प्रस्तुति में उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिनके लिए जिला प्रशासन अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ लोगों की सुरक्षा करने में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। इस क्रम में 2022 में संशोधित बिहार भवन उपनियम, 2014 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यशाला के दौरान मुंगेर, बगुसराय, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय व जमुई जिलों में निबंधित परियोजनाओं के प्रमोटर के लिए एक सत्र को आयोजित किया गया। इसमें प्रतिभागियों को परियोजनाओं के निबंधन के लिए आवश्यक कदमों और निबंधन के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई।